



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 1 | नई दिल्ली, दिसम्बर 26, 2004—जनवरी 1, 2005 शनिवार/पौष 5—पौष 11, 1926
No. 1 | NEW DELHI DECEMBER 26, 2004—JANUARY 1, 2005 SATURDAY/PAUSA 5—PAUSA 11, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य सेवा प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण मान्यविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्यक्रम, लोक शिकायत तथा संशोधन मंत्रालय

(कार्यक्रम तथा प्रांशुकण) [प्रभाग]

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2004

सा. का. नि. 1.—एट्टपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वाय प्रदर शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमावली, 1965 में आगे आंग संशोधन करने के लिए एतद्वाया नियमावली दिया जाएगा, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) पाँचवां संशोधन नियमावली, 2004 है।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमावली, 1965 को अनुसूची में :—

(क) भाग-I में क्रम संख्या 3 और 4 के सामने प्रविद्धियों को नियमावली से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3. केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल) सारूः ‘क’ संवा

3. केन्द्रीय इंजीनियरी (सिविल और गोपनीय) सारूः ‘क’ संवा।”

(छ) भाग-II में संख्या 22 और 23 और उससे सम्बंधित प्रविद्धियों को नियमावली से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
“22. केन्द्रीय वैद्युत महानिदेशक	(i) पहलनिदेशक	मध्ये		
इंजीनियरो (नियमाण)	(नियमाण)	(नियमाण)		
संवा, संघूह केन्द्रीय लोक	केन्द्रीय लोक			
‘छ’ नियमाण	नियमाण	नियमाण		
विभाग	विभाग	विभाग		
		(ii) मुख्य	(i) गं	
		आमंत्रा	(iv) संक	
		(गतकंता),		
		केन्द्रीय लोक		
		नियमाण विभाग,		

1	2	3	4	5
23.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेक्यूरिटी 'ख'	महानिदेशक (निर्माण) केन्द्रीय स्टोक निर्माण विभाग	(i) महानिदेशक सभी (निर्माण) गोदीग लोक निर्माण विभाग, (ii) मुख्य अभियंता (सरकारी), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,	(i) महानिदेशक सभी (निर्माण) गोदीग लोक निर्माण विभाग, (ii) से (ii) तक

[फा. संख्या-11012/10/2004-स्था. (क)]

ए० प्रभाकरन, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 20 नवम्बर, 1965 को अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्था. (क) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित किए गए :—

- का.आ. 1149 दिनांक 13 अप्रैल, 1966
- का.आ. 1596 दिनांक 04 जून, 1966
- का.आ. 2007 दिनांक 09 जुलाई, 1966
- का.आ. 2648 दिनांक 02 सितम्बर, 1966
- का.आ. 2854 दिनांक 01 अक्टूबर, 1966
- का.आ. 1282 दिनांक 15 अप्रैल, 1967
- का.आ. 1457 दिनांक 29 अप्रैल, 1967
- का.आ. 3253 दिनांक 16 सितम्बर, 1967
- का.आ. 3530 दिनांक 07 अक्टूबर, 1967
- का.आ. 4151 दिनांक 25 नवम्बर, 1967
- का.आ. 321 दिनांक 09 मार्च, 1968
- का.आ. 1441 दिनांक 27 अप्रैल, 1968
- का.आ. 1870 दिनांक 01 जून, 1968
- का.आ. 3423 दिनांक 28 सितम्बर, 1968
- का.आ. 5008 दिनांक 27 दिसम्बर, 1969
- का.आ. 397 दिनांक 07 फरवरी, 1970
- का.आ. 3521 दिनांक 25 सितम्बर, 1971
- का.आ. 249 दिनांक 01 जनवरी, 1972
- का.आ. 990 दिनांक 22 अप्रैल, 1972
- का.आ. 1600 दिनांक 01 जुलाई, 1972
- का.आ. 2789 दिनांक 14 अक्टूबर, 1972
- का.आ. 929 दिनांक 31 मार्च, 1973
- का.आ. 1648 दिनांक 06 जुलाई, 1974
- का.आ. 2742 दिनांक 31 जुलाई, 1976

- का.आ. 4664 दिनांक 11 दिसम्बर, 1976
- का.आ. 3062 दिनांक 08 अक्टूबर, 1977
- का.आ. 3573 दिनांक 26 नवम्बर, 1977
- का.आ. 3574 दिनांक 26 नवम्बर, 1977
- का.आ. 3671 दिनांक 03 दिसम्बर, 1977
- का.आ. 2464 दिनांक 02 सितम्बर, 1978
- का.आ. 2465 दिनांक 02 सितम्बर, 1978
- का.आ. 920 दिनांक 17 फरवरी, 1979
- का.आ. 1769 दिनांक 05 जुलाई, 1980
- का.आ. 264 दिनांक 24 जनवरी, 1981
- का.आ. 2126 दिनांक 08 अगस्त, 1981
- का.आ. 2203 दिनांक 22 अगस्त, 1981
- का.आ. 2512 दिनांक 03 अक्टूबर, 1981
- का.आ. 168 दिनांक 23 जनवरी, 1982
- अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था.(क) दिनांक 05 जुलाई, 1985
- अधिसूचना सं. 11012/05/85-स्था.(क) दिनांक 29 जुलाई, 1985
- अधिसूचना सं. 11012/06/85-स्था.(क) दिनांक 06 जुलाई, 1985
- का.आ. 5637 दिनांक 21 दिसम्बर, 1985
- का.आ. 5743 दिनांक 28 दिसम्बर, 1985
- अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था.(क) दिनांक 26 नवम्बर, 1986
- का.आ. 830 दिनांक 28 मार्च, 1987
- का.आ. 831 दिनांक 28 मार्च, 1987
- का.आ. 1591 दिनांक 27 जून, 1987
- का.आ. 1825 दिनांक 18 जुलाई, 1987
- का.आ. 3060 दिनांक 15 अक्टूबर, 1988
- का.आ. 3061 दिनांक 16 अक्टूबर, 1988
- का.आ. 2207 दिनांक 16 सितम्बर, 1989
- का.आ. 1084 दिनांक 28 अप्रैल, 1990
- का.आ. 2208 दिनांक 25 अगस्त, 1990
- का.आ. 1481 दिनांक 13 जून, 1992
- सा.का.नि. 289 दिनांक 20 जून, 1992/भाग II, में छंड 3,
उप-छंड (i)
- सा.का.नि. 589 दिनांक 26 दिसम्बर, 1992
- सा.का.नि. 499 दिनांक 08 अक्टूबर, 1994
- सा.का.नि. 276 दिनांक 10 जून, 1995
- सा.का.नि. 17 दिनांक 20 फरवरी, 1996
- सा.का.नि. 125 दिनांक 16 मार्च, 1996
- सा.का.नि. 417 दिनांक 05 अक्टूबर, 1996
- सा.का.नि. 337 दिनांक 02 सितम्बर, 2000

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : जनवरी 1, 2005/सौप 11, 1926

3

सा.का.मि. 420 दिनांक 28 अक्टूबर, 2000

सा.का.नि. 211 दिनांक 14 अप्रैल, 2001

सा.का.नि. 60 दिनांक 13 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 2 दिनांक 03 जनवरी, 2004

सा.का.नि. 113 दिनांक 10 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 225 दिनांक 10 जुलाई, 2004

सा.का.नि. 287 दिनांक 28 अगस्त, 2004